

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 381 / 2014 / अजमेर

मैसर्स तोषनीवाल इन्स्ट्रूमेन्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रा.लि.,  
(गगवाना) अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी,  
वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त—अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अभिषेक अजमेरा,  
अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से  
श्री जमील जई,  
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.08.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 5 / 13–14 / सीएसटी / अजमेर के आदेश दिनांक 04.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त—अजमेर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी”) कहा जायेगा, द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “केन्द्रीय अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 9 सप्तित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 23 / 24 के तहत पारित 2013–14 के लिये घोषणा प्ररूप “सी” के अभाव में, आरोपित अंतर कर 6,66,686 / – , विलम्ब ब्याज 1,86,672 / – एवं नियमित कर विलम्ब से जमा कराने पर ब्याज रूपये 2363 / – आरोपित किया गया इस प्रकार कुल विवादित मांग रूपये 8,55,721 / – को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर, घोषणा प्ररूप “सी” प्रस्तुत नहीं करने के कारण तदनुसार मांग राशि कायम की गयी। तत्पश्चात्, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में शेष रह गये घोषणा प्ररूप “सी” प्रस्तुत कर, पारित मूल निर्धारण आदेश के संबंध में अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, घोषणा प्ररूप “सी” के संबंध में कायम की गयी कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत किये गये प्ररूप घोषणा प्ररूप “सी” को केन्द्रीय विक्रय

लगातार.....2

(पंजीकरण एवम् पण्यावर्त) कर नियमों, 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानानुसार नियत समयविधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्वीकार कर, आदेश पारित कर, मांग राशि कायम की गयी। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 04.03.2014 के जरिये अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपरिथित होकर कथन किया कि विवादित बकाया मांग राशि केन्द्रीय अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा प्रारूप यथा "सी", "ई" आदि से संबंधित है, जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिन्हें निर्धारण अधिकार द्वारा बिना विचार किये ही अस्वीकार कर दिया गया। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से पारित निर्धारण आदेश, जो अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किया गया था के विधिक व तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित निर्धारण आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गयी है, जो विधिसम्मत नहीं है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कतिपय घोषणा प्रारूप "सी" प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तुत कर, मूल निर्धारण आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि में संशोधन हेतु निवेदन किया गया था। कथन किया कि केन्द्रीय विक्रय (पंजीकरण एवम् पण्यावर्त) कर नियमों, 1957 के नियम 12(7) के प्रावधानों व अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, जो विधिअनुकूल नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ आंघ्र प्रदेश बनाम हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्टशन लि. 94 एस.टी.सी. 410, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा मैसर्स रॉकवेल माईकोन मिनरल्स, प्रा.लि. राजस्थान बनाम वा.क.आ. राजस्मंद (2012) 33 टैक्स अपडेट 246 व मैसर्स सन्नी मिनरल्स, अलवर 30 टैक्स अपडेट 282 को प्रोद्धरित कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से दिनांक 19.7.1985 का आयुक्त वाणिज्यिक कर के परिपत्र की ओर ध्यानाकर्षित किया कि उक्त जारी परिपत्र में सरकार की मंशा स्पष्ट है कि :-

"कर निर्धारण कर से छूट प्राप्त करने के लिए अथवा घटी हुई कर दर का लाभ पाने के लिए व्यापारी को कर निर्धारण के समय विभिन्न प्रकार के

घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र पेश करने होते हैं। कई बार व्यापारी ऐसे घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र अपने क्रेताओं से कर निर्धारण के दिनांक तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इस कारण से उन पर कर निर्धारण में पूरी दर से करारोपण कर दिया जाता है इस प्रकार लगाया गया अतिरिक्त कर वास्तव में संदेय (Payable) नहीं होता है किन्तु तकनीकी कमी के कारण व्यापारी यह राशि लगा दी जाती हैं अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि ऐसे व्यापारी कर निर्धारण आदेश एवं मांग पत्र जारी होने के बाद भी यदि ऐसा घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र लाकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें मान्य किया जाकर स्वीकार कर लिया जाय तथा कर निर्धारण आदेश एवं मांग पत्र को संशोधित कर दिया जाए। जहाँ कर निर्धारण हो चुका है तथा मामले अपील आदि में विचाराधीन है उन मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से केस शीघ्र सुनवाई के लिए रखवाकर रिमाण्ड आदि कराये जा सकते हैं ताकि इस प्रकार की अनावश्यक मांग को समाप्त किया जा सके।

7. परिपत्र अनुसार कथन किया कि घोषणा पत्र पेश कर देने से CST Act की धारा 8(1) अनुसार रियायती दर अनुमत है फिर भी अवर अधिकारियों द्वारा घोषणा पत्र स्वीकार नहीं कर विधिक भूल की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत घोषणा पत्र अनुसार अन्तर कर तथा ब्याज कम किये जाने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की गयी।

8. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि CST Rules 12(7) में दिनांक 1.10.2005 से संशोधन अनुसार घोषणा पत्र तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर ही पेश किये जा सकते हैं। अपीलार्थी ने घोषणा पत्र सभी तिमाहियों के 90 दिन के बाद पेश किये हैं तथा देरी से पेश करने हेतु समयावधि भी कर निर्धारण अधिकारी से नहीं बढ़वाई गई थी इसलिए कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपील अपास्त योग्य है।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। उद्धरित निर्णयों, परिपत्रों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की प्रस्तुती में हुयी देरी के कारण उक्त को अस्वीकार कर, आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर नियम (पंजीयन एवं पर्ण्यावृत) 1957 के नियम 12(7) में संशोधन दिनांक 1.10.2005 को मानकर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा "सी" फार्म तिमाही समाप्ति के 90 दिन के भीतर प्रेस्क्राइब अधिकारी के समक्ष पेश नहीं करने के आधार पर अपील अस्वीकार की गयी हैं। सी.एस.टी. रूल्स के प्रावधानों के होते हुए भी CST Act के तहत कर निर्धारण CST Act की धारा 9(2) अनुसार स्थानीय कानून के तहत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कर ब्याज तथा शास्ति निर्धारण विहित की गई है। इसलिए CST Act के तहत कर निर्धारण सपष्टित स्थानीय बिक्री कर प्रावधानों के मध्येनजर किये


✓

जाते हैं। अधिनियम की धारा 24 के तहत नियमित कर निर्धारण स्व कर निर्धारण योजना के तहत CST Act के कर निर्धारण भी सम्पन्न होते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेन्ट प्रॉडक्शन लि., 1994 एस.टी.सी.410 में घोषणा प्ररूप की प्रस्तुत में हुयी देरी के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है:— “.....The aforesaid observations show that the mere use of the words "the first assessing authority" in sub-rule (7) of Rule 12 cannot and does not mean, in the context and scheme of the enactments concerned herein, that the appellate authorities do not have the power to receive Form-C in appeal. This power can of course be exercised only where sufficient cause is shown by the dealer for not filing them up to the time of assessment before the first assessing authority. If in a given case, a dealer had obtained further time from the first assessing authority and yet failed to produce them before him, it is obvious that the appellate authority would adopt a stiffer standard in judging the sufficient cause shown by the dealer for not producing them earlier. It is necessary to reiterate that receipt of those forms in appeal cannot be a matter of course; it should be allowed only where sufficient cause is established by the dealer for not producing them before the first assessing authority as contemplated by Rule 12(7). The requirement of the said sub-rule cannot be excluded consideration by the appellate court, while judging the sufficiency of the cause shown. It must be remembered that is the primary obligation of the dealer and his failure to abide by it must be properly explained.”

10. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.07.1985 का भी उल्लेख करना आवश्यक है जिसके जरिये आयुक्त द्वारा घोषणा पत्रों के अभाव में सृजित मांग को उचित नहीं बताते हुए घोषणा पत्र पेश करने पर मांग कम किये जाने की मंशा जाहिर की गयी है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत व आयुक्त द्वारा परिपत्र दिनांक 19.07.1985 के आलोक में तथा व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उक्त घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रस्तुत किये गये थे, पत्रावली पर भी उपलब्ध है, के मध्यनजर उचित मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्ररूप “सी” की जांच कर, नियमानुसार कायम की गयी कर व अनवृत्ती ब्याज की मांग राशि में कमी करें।

11. उक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।



24.8.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य